


7.1.2020 फावली पेश | वकील वादी उप: वादी वकील
को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नोटिस
रजि. एडी सहित पेश करने के लिए
कई बार निर्देशित किया गया परन्तु
वादी वकील अथवा वादी द्वारा इसके कोई
रुयि नहीं लेकर कार्रवाई तक नोटिस तलबता
रजि एडी सहित पेश नहीं किया गया है
इससे यह प्रतीत होता है कि वादी अपने
वाद को लेकर गंभीर नहीं है। वादीगण द्वारा
प्रतिवादीगण की तलबी हेतु पुन नोटिस तलबता
अथ रजि. एडी पेश नहीं करने से द्वारा
अपालना में खारिज किया जाता है। फावली
फैसल नुमा लेकर व नम्बर से कम की
जाकर दाखिल फलत हो।


सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

